न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या– 2018 / 00009 दायर दिनांक 22.01.2018

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

1. रमजान खां पुत्र भंवरू खां जोईया, मैसर्स–जोया कोल्ड ड्रिंक्स छापर रोड़ सुजानगढ जिला चूरू (राज.)
2. नंदलाल पुत्र रामनिवास बगड़िया, मैसर्स– अग्रवाल एजेन्सी मैन मार्केट मीठड़ी जिला नागौर। स्थाई पता– ग्राम पोस्ट नेछवा जिला सीकर (राज.)

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) / 51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित :– 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज
2. श्री नरेन्द्र सिहाग, श्री संजय सिहाग एडवोकेट वास्ते गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 22.07.2019

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर (ऑनलाईन पोर्टल) किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.05.2017 को 01.40 पी.एम. पर मै0 रोशन खां c/o जोया कोल्ड ड्रिंक्स छापर रोड सुजानगढ की गोदाम पर पंहुचा। वहां पर रमजान खां अपनी गोदाम पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) बेचने हेतु रखा पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। श्री रमजान खां से पुछने पर बताया कि मै Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) बेचने का कार्य करता हूँ।

3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि 10 कार्टुन में 250 एमएल की सील बन्द 240 बोतल, Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) बेचने हेतु पायी गई। Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) में मिलावट की शंका होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता रमजान खां को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए की प्रति न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है की 250 एमएल के 48 सील बन्द बोतल, Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री रमजान खां को 480—रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री लालचन्द व इस्लामूदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) की 250 एमएल की 48 बोतलो को बारह—बारह बोतले बांधकर नमूने के चार भाग बनाये प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल—1591 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर खाद्य पदार्थ की किस्म, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल—1591नियमानुसार चारों नमूनों के भागो पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेंपर पर गवाह के हस्ताक्षर करवायें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके की फर्द रिर्पोट बनाकर खाद्य कारोबार कर्ता एवं गवाह को पढा सुनाकर मौके पर हस्ताक्षर करवाये एवं मैने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर नमूने के एक भाग को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने पर मुख्य विषलेश्क राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या,खाद्य पदार्थ की किस्म एवं दिनांक डालकर मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। नमूनें के शेष दो भाग फार्म न. 6 की दो प्रतियों के साथ आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अग्रेसण पत्र क्रमांक–1095 दिनांक 19.06.2017 प्राप्त हुआ, जिसके साथ खाद्य विशलेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस.1244/एक्ट/2017/1311 दिनांक 06.06.2017 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon), सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। मैसर्स– रोशन खां c/o जोया कोल्ड ड्रिंक्स छापर रोड सुजानगढ ने माल खरीद का बिल मैसर्स– अग्रवाल एजेन्सी मैन मार्केट मिठडी लाडून का इन्वोइस नं. 205 दिनांक 08.04.2017 का पेश किया।

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/1353 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह कि उक्त प्रकरण रमजान खां वगैरह में सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड, Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग ने दिनांक 28.02.2018 को वकालतनामा पेश किया। गैरसायल अधिवक्ता ने दिनांक 28.06.2018 को परिवाद का जवाब पेश किया। दिनांक 10.07.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल के बयान करवाये गये।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) का सेम्पल नं. एल–1591 FOOD रिपोर्ट संख्या एल.एस./1244/एक्ट/2017/1311 दिनांक 06.06.2017 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया है जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन हुआ है। खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

गैरसायल के योग्य अधिवक्ता ने जवाब परिवाद दिनांकित 28.06.2018 में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कहा कि परिवाद में गलत तथ्य अंकित किये होने से ये परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। मेरे समक्ष किसी के कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे हस्ताक्षर खाली कागजों पर करवाये। उन्होंने हमारी दुकानों से कोई सैंपल नहीं लिये। केवल कयास के आधार पर कार्यवाही की गई है। हमारे माल की बिक्री दिन भर की जाती है। उन्होंने कहीं सामान खरीदा होगा इसलिए बिल परिवाद के साथ संलग्न किया गया है। गैरसायलान के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप पूर्णतया गलत होने यह परिवाद इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ व गैरसायलान के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Beverage Brand RV (Lemon) की रिपोर्ट संख्या एल.एस./1244/एक्ट/2017/1311 दिनांक 06.06.2017 से सबस्टैण्डर्ड (Under Section 3(1)(zx)of FSS Act, 2006) व मिसब्राण्ड (Under Section 3(1)(zf)(c)(i) होने से Regulation 2.2.2 (5)(b) (packaging and labelling) होना पाया गया है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Beverage Brand Dadu(Fountain Day) बेचने के कारण एंव रिकॉर्ड अनुसार उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

गैरसायल रमजान खां पुत्र भंवरू खां जोईया, मैसर्स–जोया कोल्ड ड्रिंक्स छापर रोड़ सुजानगढ जिला चूरू (राज.) पर 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) तथा नंदलाल पुत्र रामनिवास बगड़िया, मैसर्स– अग्रवाल एजेन्सी मैन मार्केट मीठड़ी जिला नागौर। स्थाई पता– ग्राम पोस्ट नेछवा जिला सीकर (राज.) पर 15,000/– रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.07.30 17:29:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: